

राजस्थान सरकार  
कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,  
(साधारण बीमा निधि)

वित्त भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

---

राज. मेडिकलेम पॉलिसी, विद्युत कर्मियों की मेडिकलेम पॉलिसी एवं विभाग द्वारा संचालित अन्य मेडिकलेम पॉलिसियों में पॉलिसी वर्ष 2015-16 (01.04.2015 से 31.03.2016) के लिए टीपीए नियुक्ति के संबंध में।

01.01.2004 के पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर लागू राज मेडिकलेम पॉलिसी, विद्युत कर्मियों की मेडिकलेम पॉलिसी एवं विभाग द्वारा संचालित अन्य मेडिकलेम पॉलिसियों के संचालन हेतु दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 (एक वर्ष की अवधि) के लिए "अनयुता मेडिनेट हैल्थ केयर टी.पी.ए. इन हैल्थ केयर (प्राइवेट) लिमिटेड" को टीपीए नियुक्ति किया गया है। 01.04.2015 एवं उसके पश्चात् उत्पन्न सभी दावों का निस्तारण साधारण बीमा निधि के वित्त भवन स्थित कार्यालय से किया जायेगा। अतः भविष्य में सभी मेडिकलेम दावा प्रपत्र निम्न पते पर भिजवाये जावे -

कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग  
(साधारण बीमा निधि)

"टी.पी.ए. डेस्क, डी-204 ए, द्वितीय तल, डी-ब्लॉक,  
वित्त भवन, जनपथ, नई विधानसभा के पास,  
जयपुर - 302005 (राजस्थान)

दूरभाष नं. - 0141-6596565, 6550002

फैक्स नं. - 0141-6550002, हैल्प डेस्क दूरभाष नं. - 7877205152

आपातकालीन परिस्थितियों में सम्पर्क - 9314612414 (श्री चन्द्रमोहन शर्मा, रिजनल मैनेजर, टी.पी.ए.)

ई-मेल - cmsharma@anyutatpa.com

कैशलेस प्री/पोस्ट ऑथराइजेशन के लिए संपर्क

दूरभाष नं. - 09845010136, 09448456986, 09448454311

ई-मेल - ravi@anyuta.co, cashless@anyutatpa.com

मेडिकलेम पॉलिसी से संबंधित अन्य जानकारी विभाग की वेबसाइट [www.sipf.rajasthan.gov.in](http://www.sipf.rajasthan.gov.in) पर देखी जा सकती है।